दिनांक 28.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 28/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.11.2022 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिलेश कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना विभूतिखण्ड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 654/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफतारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अखिलेश कुमार उर्फ मोनू निवासी सोहवल थाना रौनाही जनपद अयोध्या, हालपता गैलेक्सी अपार्टमेन्ट थाना चिनहट लखनऊ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 लैपटॉप, 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.11.2022 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–62 छोटा डी पार्क के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अंकित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 लैपटॉप, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके कब्जे से बरामद लैपटॉप आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकित निवासी दीपक विहार खोडा कालोनी जनपद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 04 लैपटॉप।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.11.2022 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मधेडा रजवाहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल थाना सिखेडा पर पंजीकृत चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी मदीना कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.11.2022 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर 43 से बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने

की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लईक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लईक निवासी राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–03 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन बरामद**

दिनांक 28.11.2022 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलेमगढ टोलप्लाजा के पास से 02 अभियुक्तों 1–टुनटुन 2–परमाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टुनटुन निवासी भित भैरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार।

2–परमाराम निवासी भित भैरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार।

बरामदगी

1–03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन।

- **जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 02 लाख 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/149/323/304/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गौरव को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 02 लाख 06 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिवाधार 2–नन्हे को 10–10 वर्ष के कारावास व 12–12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना मौरावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0–प्रथम जनपद उन्नाव द्वारा थाना मौरावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद लखीमपुर खीरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस ने अभियुक्त नरेश गुप्ता उर्फ रामनरेश पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी कृपाकुण्ड थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———————